

पल्लाडा
23/11/2021

"प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
सोनकी देवी पत्नी रामदीन अपिह. जाट सा. पल्लाडा	ना म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 158/2021 GCMS No. 2021/857

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---


23/11/2021

वादी श्री सोनकी देवी पुत्र रामदीन
जाति जाट निवासी पल्लाडा द्वारा आज "प्रशासन
गांवो के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत पल्लाडा
में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2073-74
ग्राम पल्लाडा पटवार मण्डल पल्लाडा के खाता
नम्बर 78 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि सुकारेवी
पत्नी रामदीन
दर्ज है, जो अशुद्ध है।

वादी का शुद्ध नाम सोनकी देवी पत्नी रामदीन
है, तथा इसी अनुसार
राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है।
जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरुप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न.
आधार नम्बर 354977661117
मतदाता पहचान पत्र - अन्य दस्तावेज -
की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी पल्लाडा भू.अ.नि.म. 1471
एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट
तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं
प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार
राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये
जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तार
हो।


उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)



70-703